सोशल मीडिया सेल आजमगढ

पत्र सं.- 433/21 **दिनांक- 15 सितम्बर 2021**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- कप्तानगंज

गोवध अधिनियम में दो वांछित गिरफ्तार

दिनांक 31.01.2021 को उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना कप्तानगंज जिला आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि एक अदद क्षतिग्रस्त ट्रक नं0 BR01 GB 8045 को क्रेन से टोचन कराकर मय बरामदगी 15 राशि जिन्दा गोवंश व दो राशि मृत गोवंश विरूद्ध ट्रक नं0 BR01 GB 8045 के मालिक व चालक नाम पता अज्ञात के उपस्थित थाना आकर दाखिल किया गया उक्त ट्रक को थाना प्रांगण में जेर निगरानी संतरी प्रहरी निरूद्ध किया गया। मौके पर उक्त ट्रक में लादे गये 15 राशि जिन्दा गोवंश को ट्रक से जनसहयोग व राहियों के मदद से उतरवाकर पशु चिकित्सा अधिकारी को बुलाकर उनके द्वारा डाक्टरी परीक्षण कराकर इनकी देखरेख में खाने पीने हेतु बगल के ग्राम हूसेपुर सनूप के गोशाला में उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को सुपुर्द किया गया व मृत दो राशि गोवंश को मौके पर पशु चिकित्साधिकारी को बुलाकर मृत गोवंशो का पंचायतनामा मुरत्तव कर उनका पोस्ट मार्टम कराया गया। तत्पश्चात उक्त गोवंश के शवों को जनसहयोग द्वारा निर्जन स्थान पर दफन कराया गया था। अभियोग पजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, जनपद आजगमढ़ व श्रीमान्गोपाल स्वरूप बाजपेयीक्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर आजमगढ के दिशा निर्देशन व कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु अभियान के तहतपूर्व में हुकुम तहरीरी की नोटिस जारी करने के उपरान्त थाना हाजा के **मु0अ0सं0 16/2021 धारा 3/5क(7)/5ख/8(1) उ0प्र0 गोबध निवारण अधि0 1955 व उ0प्र0 गोबध निवा0 (संशोधन) 2020 व 11 पशु क्रुरता निवा0 अधि0 1960में प्रकाश में आये हुए अभियुक्त गण 1. मन्नू यादव पुत्र लक्ष्मण यादव उम्र करीब 40 वर्ष ग्राम नदाव थाना मुकासी बक्सर जनपद बक्सर राज्य बिहार , 2.सरोज कुमार पुत्र नन्दजी सिंह उम्र करीब 38 वर्ष ग्राम मशहरिया थाना मुडार जनपद बक्सर राज्य बिहार** स्वयं थाना स्थानीय पर उपस्थित आये जिनको नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण की गिरफ्तारीके दौरान मा0 उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकार आयोगके आदेश निर्देशोंका अक्षरशः पालन किया गया,गिरफ्तार अभियुक्तगण को नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने हेतु रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर अभियुक्तगणअपनाजुर्म स्वीकार करते हुये बार बार गलती की माफी मांग रहे है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 16/2021 धारा 3/5क(7)/5ख/8(1) उ0प्र0 गोबध निवारण अधि0 1955 व उ0प्र0 गोबध निवा0 (संशोधन) 2020 व 11 पशु क्रुरता निवा0 अधि0 1960 थाना कप्तानगंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. मन्नू यादव पुत्र लक्ष्मण यादव उम्र करीब 40 वर्ष ग्राम नदाव थाना मुकासी बक्सर जनपद बक्सर राज्य बिहार,
2.सरोज कुमार पुत्र नन्दजी सिंह उम्र करीब 38 वर्ष ग्राम मशहरिया थाना मुडार जनपद बक्सर राज्य बिहार।

रफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

1. उ0नि0 रमेश कुमार पटेल, थाना कप्तानगंज आजमगढ़।
2. का0 सज्जन सिंह
3. का0 संदीप दूबे

थाना- फूलपुर

05 राशि गोवंश व एक पिकप वाहन के साथ तीन गिरफ्तार

दिनांक- 14.09.2021 को उ0नि0 कमला शंकर गिरि मय राह का0 विनोद यादव के देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित में खुरासो बाजार मे मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास की सूचना पर कि एक पिकप वाहन से कुछ व्यक्ति कुछ गोवंशीय पशुओं को लादकर हत्या करने के लिए अम्बारी की तरफ से नहर के किनारे पक्की सड़क से फूलपुर की तरफ आ रहे है यदि जल्दी किया जाये तो इन्हे पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 मय राह मय मुखबिर को साथ लेकर मकसद से अवगत कराते हुये पूर्व से क्षेत्र ड्यूटी मे मामूर HC सुनील यादव व का0 इरफान अद व ईगल मोबाईल मे ड्यूटीरत का0 रवि यादव को व जितेन्द्र यादव को जरिये मोबाईल पर वार्ता कर मकसद से अवगत कराते हुये प्रस्थान किया। मौके पर एक बबूल के पेड़ व झाड़ियों मे नहर के किनारे छिपकर आने वाले पीकप वाहन का इन्तजार करने लगे कि थोड़ी देर में एक पीकप वाहन अम्बारी की तरफ से आते हुये दिखाई दी मुखबिर खास ईशारा करके हट बढ़ गया पुलिस पार्टी की तरफ से टार्च की रोशनी से पिकप वाहन को रोकने का ईशारा किया इस पर पीकप वाहन को रोककर उस पर सवार तीन व्यक्ति वाहन को रोककर उतरकर भागने लगे पुलिस पार्टी द्वारा हिकमत अमली से तीनो अभियुक्तों/व्यक्तियों को घेरघार कर पकड़ लिया गया तीनो व्यक्तियों से बारी बारी उनका नाम पता पूछते हुये भागने का कारण पूछा गया तो बताये कि (1) मेरा नाम मो0 सैफ पुत्र मो0 बाबुल्ला सा0शेखपुर पिपरी थाना फूलपुर आजमगढ़ (2) मो0 अफजल पुत्रसहानुल्ला सा0शेखपुर पिपरी थाना फूलपुर आजमगढ़ (3) रतुल्ला उर्फ लड्डन पुत्र दिलदार सा0टेऊँगा थाना फूलपुर आजमगढ़ है। चूकि पिकप वाहन सं0- UP50 BT 2452 पर क्रूरता पूर्वक बांधकर 05 राशि गोवंशीय पशुओं को लादकर भरा गया

था बरामद शुदा गोवंशीय पशुओं व पीकप वाहन को राही कर्मचारीगण की मदद से उतार कर गौशाला मे रखाया गया कारण गिरफ्तारी बताकर तीनो अभियुक्तगणों को उनके अपराध धारा 3/5 A/8 गोवध नि0 अधि0 व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 का बोध कराते हुये स0 18.40 बजे हथनौरा कला प्लाई फैक्ट्री के पास से पुलिस हिरासत में लेकर, अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

सम्बन्धित मुकदमा –

1- मु0अ0सं0 160/2021 धारा 3/5A/8 गोवध नि0 अधि0 व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.सैफ पुत्र मो0 बाबुल्ला सा0शेखपुर पिपरी थाना फूलपुर आजमगढ़

2.मो0 अफजल पुत्रसहानुल्ला सा0शेखपुर पिपरी थाना फूलपुर आजमगढ़

3. रतुल्ला उर्फ लड्डन पुत्र दिलदार सा0टेऊँगा थाना फूलपुर आजमगढ़

बरामदगी-

1- 05 राशि गोवंश व व एक अदद पिकप वाहन सं0 UP50 BT 2452

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1.उ0नि0 कमला शंकर गिरि

2. का0 विनोद यादव

3.हे0का0सुनील यादव

4.का0 इरफान अद

5.का0 रवि यादव को व जितेन्द्र यादव

थाना दीदारगंज

01 वाराण्टी गिरफ्तार

दिनांक 15.09.2021 थाना प्रभारी धनराज सिंह मय राह का0 अनुप यादव का0 मन्दीप कुमार सूमन   द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन / तलाश वांछित /वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु वारण्टी प्रकाश राजभर पुत्र फिरतू ग्राम कुशवां थाना दीदारगंज आजमगढ के घर दबिश दिया गया तो वारण्टी अपने घर पर मौजूद मिला। वाराण्टी कोमु0अ0सं0 167/2020 धारा 147,323,504,506,186 भादवि व 3(1)द,3(1)ध,3(2)5क एससी/एसटी एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़का अवगत कराते हुये हिरासत पुलिस मे लेकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0स0 167/2020 धारा 147,323,504,506,186 भादवि व 3(1)द,3(1)ध,3(2)5क एससी/एसटी एक्ट अधि0 थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

- 1. प्रकाश राजभर पुत्र फिरतू ग्राम कुशवां थाना दीदारगंज आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1-(थाना प्रभारी धनराज सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।

2- का0 अनूप कुमार थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।

3- का0 मन्दीप कुमार सुमन थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।

प्रेस-विज्ञप्ति

***साईबर क्राईम की आनलाईन मीटिंग, डीआईजी व एसपी के साथ-साथ जनपद के समस्त सीओ तथा एसएचओं भी रहें शामिल**

आज दिनांक- 15.09.2021 को पुलिस लाईन्स आजमगढ़ में साईबर क्राईम की आनलाईन मीटिंग की गयी। इसमें *डीआईजी आजमगढ़ श्री अखिलेश कुमार* व *पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह* के साथ समस्त अपर पुलिस अधीक्षक और समस्त सीओ/एसएचओ भी आनलाईन मीटिंग में जुड़ें रहें।

साईबर क्राईम मीटिंग में एटीएम फ्राड, फेसबूक फ्राड, फेक काल, इन्फारमेंशन चोरी, व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्ड पर फ्राड से बचने के उपायों के बारें में विस्तृत चर्चा की गयी।

यही आपके के खाते से हैंकर द्वारा फ्राड किया जाता है, तत्काल 155260 पर काल करकें, अपनी सूचना दर्ज करावें, साथ ही सम्बन्धित बैंक में जाकर अपने खाते से कटे हुए पैसे को होल्ड करवा दे। कई अन्य बातों की विस्तृत चर्चा की गयी। हमारी डिजीटल आईडेन्टीटी ई-मेल व सिम कार्ड होता है। जिसकों सुरक्षा हेतु स्टेप बताये गये है।